भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3481
(जिसका उत्तर सोमवार, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है।)

वित्त आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह

3481. श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री चंद्र शेखर साहूः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कृषि क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र के निवेशों के लिए अवरोध की पहचान किए जाने की आवश्यकता है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या पंद्रहवें वित्त आयोग ने कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने तथा उच्च आयात प्रतिस्थापन हेतु फसलों को बढ़ावा देने के लिए मापनीय निष्पादन प्रोत्साहनों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समूह के विचारार्थ विषय एवं सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इन्हें क्या अधिदेश दिया गया है तथा उक्त समूह द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक दिए जाने की संभावना है;

(घ) इस क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार को 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम हुए?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): सरकार विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक निजी सहभागिता के द्वारा कृषि में निजी निवेश को प्रोत्साहन कर रही है। भारत सरकार ने कृषि में अधिक विनिवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से मॉडल एक्ट-कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2017 और मॉडल एक्ट कृषि उत्पाद एवं पशुधन अनुबंध कृषि एवं सेवाएं (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2018 को भी प्रचालित किया है। सरकार ने किसान एकीकरण, अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने और कृषि आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण सहित कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में निजी सेक्टर नियंताओं द्वारा एकीकृत परियोजनाओं को आसान बनाने हेतु योजना संबंधी दिशा-निर्देश में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र पुनरूद्धार (आरकेवीवाई-आरएएफटीएएआर) हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-प्रतिस्पर्धा दृष्टिकोण के अंतर्गत एकीकृत कृषि विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपीआईएडी) की सहायता हेतु एक रूप-रेखा तैयार की है।

(ख) और (ग): पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्यों में उच्च आयात के प्रतिस्थापन हेतु कृषि निर्यात के साथ-साथ फसलों के प्रोत्साहन के लिए कृषि निर्यात हेतु प्रदर्शन परक प्रोत्साहन की सिफारिशों पर एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया है। इस समूह की अध्यक्षता श्री संजीव पुरी, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक करेंगे साथ ही आईटीसी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। मई, 2020 तक यह समूह अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(घ): भारत सरकार राज्य सरकार की विभिन्न फसल विकास योजनाओं/कार्यक्रमों अर्थात् समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एमएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), पूर्वोत्तर भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएएसए) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि के जरिए कार्यान्वयन कर रहा है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत गुणवत्ता परक बीजों के उपयोग हेतु किसानों को प्रोत्साहन, एकीकृत पेस्ट प्रबंधन (आईपीएम) के अंतर्गत मृदा सुधार, फार्म यंत्रीकरण, प्रथाओं के उन्नत पैकेज पर समूह प्रदर्शन, फसल कटाई प्रणाली संबंधी प्रदर्शन, उच्च उपज वाले बीजों का वितरण, फार्म मशीनरी आदि में सुधार सहित राज्य विशिष्ट कृषि नीतियों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को निधियां उपलब्ध कराई जाती है। राज्यों को जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु कृषि अवसंरचना सृजन हेतु भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार ने अभी हाल ही में व्यापक कृषि निर्यात नीति शुरू की है जिसका उद्देश्य कृषि निर्यात को दो गुना करना और कृषि व्यापार संबंधी मामलों की देखभाल हेतु कई भारतीय दूतावासों में कृषि शैल के सृजन के साथ-साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखला समेत भारतीय किसानों और कृषि उत्पादों का समेकन करना है।

(ङ): पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी है जो कि वित्त आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है: http://fincomindia.nic.in/.

******